

अध्याय 10 कर का संदाय

धारा 49 : कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकमों का संदाय

- (1) किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड या राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या वास्तविक समय समग्र निपटान या किसी ऐसे अन्य ढंग द्वारा और ऐसी शर्तों तथा ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए किए गए प्रत्येक निक्षेप को ऐसे व्यक्ति के इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जमा किया जाएगा।
- (2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्व:निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय को उसके इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए ¹[धारा 41 ²[.....]] के अनुसरण में जमा किया जाएगा।
- (3) इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध रकम का उपयोग, इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा।
- (4) इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में उपलब्ध रकम का उपयोग, इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन आउटपुट कर का संदाय करने के मद्दे, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों ³[और निर्बंधनों] के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा।
- (5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में –
 - (क) एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग पहले एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उस क्रम में संदाय करने के लिए किया जाएगा।
 - (ख) केन्द्रीय कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग पहले केन्द्रीय कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा;
 - (ग) राज्य कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग पहले राज्य कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा;

⁴[परन्तु राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए

1 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा "धारा 41" के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

2 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा "या धारा 43क" विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

3 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

4 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मददे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;]

(घ) संघ राज्यक्षेत्र कर के मददे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग पहले संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा;

⁵[परन्तु संघ राज्यक्षेत्र कर के मददे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मददे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है।]

(ङ) केन्द्रीय कर के मददे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा; और

(च) राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मददे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग केन्द्रीय कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(6) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या संदेय किसी अन्य रकम का संदाय करने के पश्चात् इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में अतिशेष का धारा 54 के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय किया जा सकेगा।

(7) इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति के सभी दायित्वों को इलैक्ट्रॉनिक उत्तरदायित्व रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा और उनका ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुरक्षण किया जाएगा।

(8) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों को निम्नलिखित क्रम में चुकाएगा, अर्थात् :

(क) स्वः निर्धारित कर और पूर्व कर अवधियों की विवरणियों से संबंधित अन्य शोध्य;

(ख) स्व निर्धारित कर और चालू कर अवधि की विवरणी से संबंधित अन्य शोध्य;

(ग) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कोई अन्य रकम, जिसके अंतर्गत धारा 73 या धारा 74 ⁶[या धारा 74क] के अधीन अवधारित मांग भी है।

(9) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों पर कर संदत्त किया है, जब तक कि उसके द्वारा प्रतिकूल न साबित किया जाए, के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे कर की पूर्ण रकम को ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता को संक्रांत कर दिया है।

⁷[(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते

5 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

6 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

7 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा उपधारा (10) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 09/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा दिनांक 05.07.2022 से प्रभावशील किया गया।
प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

A''(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

हुए, जो विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को—

(क) एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर; या

(ख) धारा 25 की, यथास्थिति, उपधारा (4) या उपधारा (5) में यथाविनिर्दिष्ट किसी सुभिन्न व्यक्ति के एकीकृत कर या केन्द्रीय कर, संबंधी इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा :

परन्तु खंड (ख) के अधीन ऐसा कोई अंतरण वहां अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का, उसके इलैक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में कोई असंदत दायित्व है।]

⁸[(11) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा।]

⁹[(12) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन, जावक कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्वधीन रहते हुए, इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते के माध्यम से चुकाया जा सकेगा।]

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्राधिकृत बैंक में सरकार के खाते में जमा किए जाने की तारीख को इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा करने की तारीख समझा जाएगा;

(ख) पद,—

(i) “कर शोध्यों” से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ब्याज, फीस और शास्ति नहीं है; और

(ii) “अन्य शोध्यों” से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय ब्याज, शास्ति, फीस या कोई रकम अभिप्रेत है।

उपयुक्त नियम: नियम 85, 86, 86क, 86ख, 87 एवं 88ग

उपयुक्त प्रारूप: प्रारूप जीएसटी पीएमटी-1 भाग-I, जीएसटी पीएमटी-1, भाग-II, जीएसटी पीएमटी-2, जीएसटी पीएमटी-3, जीएसटी पीएमटी-3क, जीएसटी पीएमटी-4, जीएसटी पीएमटी-5, जीएसटी पीएमटी-6, जीएसटी पीएमटी-7, जीएसटी पीएमटी-9

या संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर संबंधी इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते से प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा।”

A. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा उपधारा (10) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

8 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा उपधारा (11) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

9 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा उपधारा (12) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।